अतिआवश्यक

राजस्थान रोजगार गारंटी परिषद
शासन सचिवालय, जयपुर

कमांक एफ 2(58) ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–3/2008–09 दिनांक 14.10.09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान(चुरू, झुन्झूनू एवं हनुमानगढ के अलावा)

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णताः प्रमाण पत्र का समायोजन एवं सनदी लेखाकार मे अंकेक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः इस कार्यालय के पत्र कमांक 17.06.09, 31.08.09, 23.09.09, 5.10.09 के कम मे।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानो के अनुसार जिले को गत वित्तीय वर्ष मे प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रो का समायोजना उपरान्त सनदी लेखाकार से अंकेक्षित लेखे चालू वित्तीय वर्ष मे 30 सितम्बर तक भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने होते है। इस तथ्य से भी आप भली भॉति परिचित है कि गत वित्तीय वर्ष की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सी.ए ऑडिट प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति मे नियमान्तर्गत जिले को योजना के कियान्वयन हेतु अगली किस्त जारी नही की जा सकती है। श्रमिको को समय पर भुगतान नही मिलने पर अधिनियम के प्रावधानो के उल्लंधन पर क्षतिपूर्ति की देयता भी उत्पन्न हो सकती है। जिसके लिए आपका कार्यालय व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा।

उपयोगिता प्रमाण पत्रो के समायोजन के सम्बंध मे पंचायत राज नियम 1996 ग्रामीण कार्य निर्देशिका तथा ग्रामीण विकास योजनाओ के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेखाकंन प्रकिया मे स्पष्ट प्रकिया एवं समयावधि उल्लेखित है लेकिन इनकी पालना नही की जा रही है।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका तथा योजना की गाइडलाइन के अनुसार पूर्व मे जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आने के बाद ही अगली किस्त जारी की जानी चाहिए साथ ही पंचायतराज नियम 1996 के नियम 215(2) के प्रावधान अनुसार कार्य के लिए जारी अग्रिम राशि का समायोजन अधिकतम तीन माह मे किया जाना वांछनीय है, तीन माह मे समायोजन नही किये जाने की स्थिति मे उपयोग नही की गई राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूलनीय है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रो के समायोजन हेतु सम्बन्धित अधिकारियो के उत्तरदायित्वो के सम्बन्ध प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा जारी पत्र क. पीएस/आरडीएण्डपीआर/2008/3627–3638 दिनांक 5.09.08 मे विस्तृत रूप से निर्देशो को उल्लेखित किया गया है।

अतः बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रो एवं सी.ए ऑडिट के कम मे पुनः लेख है कि एक समयबद्व कार्य योजना बनाकर पंचायत समिति स्तर पर/ ग्राम पंचायत/कार्यकारी एजेंसीवार केम्पस आयोजित कराकर शीध्र ही बकाया उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रो का समायोजन सुचिनश्चित करावे। राज्य सरकार स्तर पर जिला द्वारा बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रो के समायोजन कराकर सी.ए ऑडिट रिपोर्ट नही भिजवाने को गम्भीरता से लिया जा रहा है।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा कराकर इस कार्यालय को सूचित करावे तथा समायोजन की वर्तमान स्थिति की सूचना संलग्न प्रारूप मे ई–मेल के माध्यम से दो दिवस मे प्रेषित करावे।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

संलग्न उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग
2. निजी सचिव आयुक्त, नरेगा
3. अति. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना अधिकारी, लेखा, समस्त जिला परिषद।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस समस्त जिला परिषदं
6. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

D:\letter 14-10-09.doc

(19)

कार्यालय– जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर जिला–

वित्तीय वर्ष 2008–09 के उपयोगिता प्रमाण पत्रो के समायोजन की स्थिति :–

क्र. स	1.04.08 को प्रारम्भिक शेष	वित्तीय वर्ष 2008–09 में योजना क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त कुल राशि	वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये उपलब्ध कुल राशि (2+3)	आज दिनांक तक उपयोगिता प्रमाण पत्रो के समायोजन की राशि	बकाया राशि के असमायोजित रहने के कारण	वित्तीय वर्ष 2008–09 सनदी लेखाकारो से अंकेक्षित लेख किस दिनांक तक प्रस्तुत किये जावेगी।
1	2	3	4	5	6	7

परियोजना अधिकारी लेखा
जिला परिषद–

मुख्यकार्यकारी अधिकारी एवं
अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक